

इ.सी.वी. ई. 04/04/07

21/11/07

20-11-07

(72)

प्रेषक,  
निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,  
प्रधानाचार्य/प्रबंधक,  
राजकीय औद्योगिक संस्थान,  
मनकापुर जी.ए.

3/11  
मि.सं. 2009

पत्रांक: 1326/टी-3/रा040/भा0सं0संस्तुति लखनऊ दिनांक: 3/11  
विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक इकाइयों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के बारे में महानिदेशालय सेनागर एवं प्रशिक्षण, की0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी-समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 8.5.09 पर दिनांक 30.7.09 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्र. सं०	व्यवसाय/एकक (जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।)	रास्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	की0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
✓	Electrodiag-02 (LTD)	02 (LTD)	one unit	S.C.P. - 8.5.09 W.E.F. Aug 2009
✓	Wireman-02 (LTD)	02 (LTD)	one unit	Tool Kit available only for one unit.

DJET-6/24/11/2009-T.C. Dated: 30.7.09.

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारार्थीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

3. आपसे अपेक्षा कि ज्ञाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या विद्युत्तर साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अंतिम कार्यवाही कि जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,  
(राहुल देव)  
अपर निदेशक(प्रशिक्षण/शिक्षण)

पत्रांक: /टी.3/रा040/भा0सं0संस्तुति/ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण) को इस आशय से प्रेषित कि यह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान / केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
  2. संबंधित संस्थान / केंद्र की ध्यातगत पत्रावली हेतु।
  3. गार्ड फाइल हेतु।
- उपनिदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद्, अलीगंज, लखनऊ।

( राहुल देव )  
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)